उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी--ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या F27410 /C-9/NOC-52/VNS/13 दिनांक 10-7-13

सेवा में,

मे० यू०ए०एल० उ०प्र०
ग्राम- बरामनपुर, पोस्ट- भैसा,
तह०- केराकत,
जनपद- जौनपुर (उ०प्र०)

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से /~~नई इकाई की स्थापना हेतु~~/ कार्यरत इकाई की उत्पादन क्षमता में विस्तार /संयंत्रों के नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन (जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1974 की धारा- 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1981 की धारा- 21 के अन्तर्गत स्थापनार्थ पूर्व सहमति)

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनाँक 10.05.2011 एवं 07.05.2013 एवं प्रत्यावेदन दि० 5.3.2013 का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण--पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :-

(क) स्थल कार्यरत उद्योग का परिसर, ग्राम- बरामनपुर, पोस्ट- भैसा, तह०- केराकत, जनपद- जौनपुर (उ०प्र०) ।

(ख) उत्पादन : एस्बेस्टस सीमेंट शीट्स एण्ड एसेसरीज उत्पादन क्षमता 120000 टन/वर्ष से विस्तारीकरण करके 250000 टन/वर्ष ।

original
undertaking
[illegible] 23/07/2013

(ग) मुख्य कच्चे माल : सीमेंट, फ्लाई ऐश, क्राइसोटाइल फाइबर एस्बेस्टास पल्प

(घ) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा : शून्य (शत प्रतिशत पुनः चक्रित)

(ङ) प्रयुक्त ईधन : 200 लीटर/दिन, एच0एस0डी0

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।

3. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाए। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

4. उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सनियोजित किया जाए।

5. घरेलू उत्प्रवाह, जिसकी मात्रा .... पूर्ववत् .... से अधिक नहीं होगी। सेप्टिक टैंक एवं सोक पिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाए।

6. प्रदूषण नियन्त्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिये दिये गए आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक ....10.08.2013.... तक अवश्य प्रस्तुत की जाए।

7. उद्योग द्वारा यथा प्रस्तावित क्षमता विस्तारीकरण का कार्य मै0 यू0ए0एल0 उ0प्र0 इण्डस्ट्रीज लि0 ग्राम– बरामनपुर,पोस्ट– भैंसा, जौनपुर के कार्यरत परिसर में प्रस्तावानुसार की जायेगी।
8. उद्योग द्वारा 250,000 टन/वर्ष ; एस्बेस्टस सीमेन्ट शीटस एण्ड एसेसरीज से अधिक मात्रा में उत्पादन कार्य नही किया जायेगा।
9. उद्योग यथा प्रस्तावित उद्योग में औद्योगिक प्रकिया से जनित उत्प्रवाह के समुचित उपचार के उपरान्त शत प्रतिशत पुनः प्रकिया में प्रयोग करना सुनिश्चित करते हुए शून्य उत्प्रवाह निस्तारण ब्यवस्था स्थापित करेगा ।
10. उद्योग यथा प्रस्तावित प्रकिया जनित फ्यूजिटिव उत्सर्जन नियंत्रण हेतु पत्स जेट बैग फिल्टर्स असेम्बली व अन्य धूल जनित श्रोतों पर समुचित क्षमता के डस्ट कलेक्टर परीक्षण उत्पादन से पूर्व स्थापित करना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. उद्योग परिसर मे कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत भू–भाग पर प्रदूषणरोधी स्थानीय प्रजातियों के प्रदूषणरोधी वृक्षों का वृक्षारोपण स्थानिय जिला, वन अधिकारी से सम्पर्क कर करना सुनिश्चित करेगा।
12. उद्योग वर्षा जल संचयन हेतु रूफ टॉन रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना करना सुनिश्चित करेगा।
13. उद्योग द्वारा उद्योग में अपेक्षित समस्त सुरक्षा उपाय करना सुनिश्चित करेगा।
14. उद्योग परिसर में परिवहन आवागमन हेतु पक्की सड़कों का निर्माण किया जायेगा।
15. उद्योग परिसंकटमय अपशिष्ट(प्रबन्धन हथालन तथा सीमापार संचालन) नियम, 2008 का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगा।
16. उद्योग पर्यावरण (संरक्षण)अधिनियम, 1986 तथा इसके अन्तर्गत अधिसूचित पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के आज्ञापक प्राविधानों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगा
17. उद्योग ठोस अपशिष्टों का निस्तारण इस प्रकार करना सुनिश्चित करेगा जिससे पर्यावरण के किसी भी घटक जैसे जल, वायु तथा मृदा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
18. उद्योग पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 1533 दिनांक 14–09–2006 के अनुकम में केन्द्रीय पर्यावरणीय निर्धारण कमेटी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रस्तावित क्षमता विस्तार का कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित करेगा।

उपरोक्त वर्णित विशिष्ट शर्तो में से क्रम सं0 07 से 18 पर अंकित शर्ते संवेदनशील श्रेंणी की है। उक्त का समयबद्ध रूप से अनुपालन न किये जाने की दशा में राज्य बोर्ड में प्रस्तुत बैंक गारंटी संख्या 1734IGFIN000313 रू0 10,00000/–(रू0 दस लाख मात्र) दिनांक 26.06.2013 को राज्य बोर्ड के पक्ष में जब्त कर लिया जाएगा।

Rec
[signature]
13/07/13

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाय अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एंव सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 10.08.2013 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय

सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं. /एन. ओ. सी. तद दिनांक

प्रतिलिपि :

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र : जौनपुर ।

~~उपकर अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।~~

2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वाराणसी

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

(सर्किल– 9)